स्पीकर संधवां ने हरविंदर सिंह हंसपाल के निधन पर शोक व्यक्त किया

चंडीगढ़, 21 दिसंबर- पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने स. हरविंदर सिंह हंसपाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आज जारी प्रेस बयान के माध्यम से स्पीकर ने 86 वर्षीय स. हंसपाल ने वर्ष 1980 से 1992 तक राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया और देश की संसद में पंजाब के हितों की पैरवी की। वह 1970 से लगातार नामधारी दरबार अंतरराष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहे। स्पीकर ने कहा कि स हरविंदर सिंह हंसपाल की समाज सेवा और नेतृत्व को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री चौटाला एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा के विकास में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के योगदान और यहां के लोगों, विशेषकर किसानों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन राज्य और यहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री दत्तात्रेय ने श्री चौटाला जी के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करते हुए कहा कि जब मैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री था, तब श्री चौटाला जी हरियाणा के सीएम थे। उन्होंने एनसीआर के विकास के संबंध में मुझसे मुलाकात की थी। एनसीआर विकास बोर्ड की बैठक के दौरान श्री चौटाला जी, जो इसके सदस्य भी थे, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बारे में अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण साझा करते थे। 89 साल की उम्र के बावजूद भी श्री चौटाला जी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे। श्री दत्तात्रेय ने आज श्री अभय चौटाला से बात की और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। श्री दत्तात्रेय ने कहा दिवंगत आत्मा को शांति मिले।

पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया शोक

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के वरिष्ठ नेता चौ. ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री ओपी चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री चौटाला का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाईं। उनके निधन से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दें। उल्लेखनीय है कि श्री चौटाला 1989 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। वे पॉच बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री चौटाला का शुक्रवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली।

लाल डोरे के बाहर 20 वर्ष पुराने मकान का मालिकाना हक देने के लिए सरकार ने विधानसभा सत्र में पेश किया विधेयक- विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार

- मंत्री ने की जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता

चंडीगढ़। हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के बाहर तालाब या फिरनी की जमीन से अलग जमीन पर 100 से 500 गज 20 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है तो सरकार द्वारा कलैक्टर रेट पर मकान धारकों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण लाल पंवार आज रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के एजेंडे में कुल 16 शिकायतें शामिल की गई थी, जिनमें से 9 का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने एक शिकायत के संदर्भ में उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त तथा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता की समिति गठित कर इन निवासियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने बारे निर्देश दिए। उन्होंने ओमेक्स सिटी को एक माह में बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एक शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में अस्पताल व पॉवर हाऊस के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई जमीन की जांच-पड़ताल कर उपायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पंचायत मंत्री ने बैठक के एजेंडे में शामिल और भी शिकायतों की सुनवाई की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सतत भविष्य के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास कर रहा है पंजाब : अमन अरोड़ा

पंजाब ने 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को ऊर्जा-कुशल बनाकर 6800 मेगावाट को नवीकरणीय ऊर्जा में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया: नवीन और

चंडीगढ़, 21 दिसंबर- पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने पहले सिख गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए फलसफा, ÷पवन गुरु पानी पिता, माता धरति महतु÷ (हवा गुरु है, पानी पिता है और धरती माता है) का उल्लेख करते हुए कहा कि सतत भविष्य की प्राप्ति के लिए पंजाब द्वारा पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करने और हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तन करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

वे यहां एक होटल में पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) द्वारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बिजली मंत्रालय के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सैकड़ों साल पहले हमारे पहले गुरु साहिब ने हवा को गुरु का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अंततः दुनिया अब जलवायु परिवर्तन की सच्चाई के प्रति जागरूक हो रही है। समय की मांग है कि सभी इस संकट की गंभीरता को स्वीकार करें और हमारी धरती की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूलों सहित 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को ऊर्जा-कुशल बनाकर 6800 मेगावाट को नवीकरणीय ऊर्जा में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। 6200 मेगावाट को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने के लिए एक और परियोजना प्रक्रिया अधीन है। इसके अलावा, राज्य में 2.16 लाख ऊर्जा-कुशल बीईई 4-स्टार रेटिंग वाले कृषि पंप सेट लगाए गए हैं। राज्य में 750 से अधिक इमारतें ईसीबीसी (एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड) के अनुरूप हैं।

पंजाब को ऊर्जा-कुशल राज्य में बदलने के लिए उन्होंने राज्य के निवासियों से सरकार का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार केवल एक ईको-सिस्टम तैयार कर सकती है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी निजी संस्थानों की है क्योंकि उन्हें अपनी संस्थाओं को ऊर्जा-कुशल तकनीकों से सुसज्जित करना है।

उन्होंने पुरानी कहावत ÷पैसे की बचत करके भी पैसा कमाया जा सकता है÷ का उल्लेख करते हुए ऊर्जा बचत के महत्व पर जोर दिया और कहा कि, ÷ऊर्जा की बचत करना ही ऊर्जा का उत्पादन करना है।÷ इस दौरान उन्होंने ऊर्जा-कुशलता प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजोय कुमार सिन्हा ने राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा-कुशलता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और ऊर्जा-कुशलता के उपायों को समझदारी से अपनाने की अपील की। पेडा के निदेशक श्री एम.पी. सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए राज्य में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के तहत की गई पहलों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि पंजाब ईसीबीसी, ईसी सप्ताह मनाने, 85 से अधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लागू करने और ईसीबीसी और हरित भवनों को प्रोत्साहित करने के साथ ऊर्जा-कुशलता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। इस राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के समारोह में जीआरआईएचए काउंसिल की डिप्टी सीईओ शबनम बस्सी , वीपी बिजनेस डेवलपमेंट ग्लोबल नेटवर्क फॉर ज़ीरो के गौरव मुखीजा, पीएसपीसीएल, जल आपूर्ति और स्वच्छता, लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, गमाडा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी: उपायुक्त महावीर कौशिक

- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू की जनकल्याणकारी योजनाएं

भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजना को लागू किया है, बल्कि उन्हें एक से बढक़र एक बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। महावीर कौशिक ने आज सेक्टर 13 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब का निरीक्षण किया और क्लब में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का पूरा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सीनियर सिटीजन क्लब भवन का बारीकी से निरीक्षण किया और उसकी मरम्मत बारे आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। महावीर कौशिक ने अब भवन में पेंट करने, रेलिंग को ठीक करने, वॉटर टैंक, सीमेंट प्लास्टर करने, शौचालय की टाइल रिपेयर, रेन वाटर पाइप, सीवर व्यवस्था, एलईडी लाइट, दरवाजे व छत आदि के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत के दौरान उन्होंने क्लब की स्थाई आय के विभिन्न विकल्पों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और सुझाव प्राप्त किए। इस अवसर पर डीएसडब्लूओ देवेंद्र शर्मा, एक्सइन नगर परिषद जसवंत सिंह, जेई एचएसवीपी पंकज व राम मेहर, एमसी संदीप यादव, सुभाष तंवर, क्लब सदस्य ओम प्रकाश, मेहंद्र सिंह, आजाद पोपली के अलावा सत्यवान व अजय दहिया आदि मौजूद थे।

- डीसी ने सीनियर सिटीजन क्लब का किया निरीक्षण

पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया; दो ग्लॉक पिस्तौल बरामद

- पंजाब पुलिस पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध
- गिरफ्तार आरोपी अपने हैंडलरो से मंगवाते थे खेप- डीजीपी गौरव यादव
- इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों को काबू करने के प्रयास जारी - एआईजी सीआई सुखमिंदर मान

चंडीगढ़/पठानकोट, 21 दिसंबर- पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता में, पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) पठानकोट ने एक गैंगस्टर मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार करके मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीमों ने उनके पास से दो आधुनिक 9एम.एम. पिस्तौल चार मैगजीन समेत ग्लॉक पिस्तौल और 14 कारतूस बरामद किए है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस(डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ आशु निवासी राऊवाल, बटाला और दिलप्रीत सिंह उर्फ दिल निवासी रायमल, बटाला के तौर पर हुई है। आरोपी सुनील उर्फ आशू आपराधिक रिकार्ड वाला आरोपी है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 27 फरवरी 2024 को उन्हें गुरदासपुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों को अपने हैंडलरो के निर्देश पर अमृतसर के अजनाला इलाके से हथियारों की खेप मिली थी और उन्हें किसी अज्ञात पार्टी को खेप सौंपने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि हथियारों के स्रोत का पता लगाने और नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। इस संबंध में जानकारी सांझा करते हुए एआईजी सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सुनील कुमार और दिलप्रीत सिंह कुछ अज्ञात गैंगस्टरों के संपर्क में थे और हाल ही में उनसे हथियारों और गोलियों-सिक्कों की खेप प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर सीआई पठानकोट की टीमों ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से हथियार और गोलियां और सिक्के बरामद किए। एआईजी ने कहा कि आरोपियों द्वारा बरामद की गई पिछली खेप का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एफ.आई. आर. नंबर 71 तिथि 21.12.2024 पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जनवरी-2025 के महीने के लिए फोर्टिफाइड सरसों के तेल का संशोधित आवंटन जारी

भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि हरियाणा सरकार /खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जनवरी माह के लिए 2 लीटर सरसों के तेल को वितरित करने का फैसला किया है। प्रत्येक बीपीएल/एएवाई परिवार के लिए जिसकी पीपीपी में सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख तक है, उसको (2 लीटर सरसों तेल) 20 रु/लीटर की दर से वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थी जनवरी माह 2025 के लिए सरसों का तेल अपने नजदीकी विपूधारक से प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में हैफेड व हरहित के बीच जिलों का आवंटन पर आपसी सर्वसम्मति की गई है। उन्होंने बताया कि जनवरी-2025 के महीने के लिए सरसों तेल का जिला भिवानी में 249939 उपभोक्ता के लिए कुल 4998.78 एचलीटर तेल का आवंटन किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण केसम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वह सम्बन्धित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति के कार्यालय में, विभाग के टोल फी न0 18001802087 तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, भिवानी के कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रुम के दूरभाष न0 01664-242125 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एडीआर सेंटर में एड्स पर हुआ सेमिनार का आयोजन

भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में एड्स पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पैनल अधिवक्तागण सहित पैरा लीगल वॉलिंटियर्स ने भाग लिया। सेमीनार में डॉ. अनुज कुमार और डॉ. पुलकिता ने बताया कि एड्स से बचाव के लिए संकोच छोडकर समय पर जांच व उपचार से वायरस लोड कम किया जा सकता है। एक बार इलाज शुरू हो जाने के बाद, डरने जैसी कोई बात नहीं होती है।

ऐसे मरीजों की केयर की आवश्यकता है। नियमित दवा के सेवन से मरीज सामान्य जैसा हो जाता है। एचआईवी पर जागरूकता से पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस प्रयास में अंशत- सफलता भी पाई है। भारत को पूर्णत- एड्स मुक्त होने में अभी काफी समय लगेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल ने एड्स एचआईवी अधिनियम 2017 के बारे संयुक्त रूप से कानूनी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एड्स के बारे में भ्रांतियों जैसे खांसी, भोजन, स्पर्श से एड्स होना गलत बताया गया है, इन आधारों पर एड्स रोगी के साथ में भेदभाव किया जाना अमानवीय है। एड्स रोगी के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव पर कानूनी कार्यवाही व सजा प्रावधान है।

नशे का नेक्सस तोड़ती हरियाणा पुलिस, वर्ष-2024 में 4652 नशा तस्करों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

वर्ष-2024 में 841 नशा तस्करों के विरूद्ध दर्ज किए गए 411 वाणिज्यिक मात्रा के मुकद्दमे

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस प्रदेश में नशे के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नित नए आयाम स्थापित कर रही है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा जिला पुलिस द्वारा प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उनका नेक्सस तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर,2024 तक प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ 3051 मुकदमे दर्ज करते हुए 4652 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। इसके साथ ही आदतन अपराधियों पर सख्ती करते हुए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष-2024 में 63 नशा तस्करों के खिलाफ निवारक निरोध की कार्यवाही की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अपराधी दोबारा नशा तस्करी से ना जुड़े। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष-2023 में हरियाणा पुलिस द्वारा कमर्शियल क्वालिटी के 326 मुकदमे दर्ज किए गए थे जबकि वर्ष-2024 में 411 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनमें 841 बड़े नशा तस्करों पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी संबंधी बड़े मामलों में तेजी लाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से रिपोर्ट आने की समय सीमा को घटाकर 15 दिन किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए गांव में 5150 ग्राम प्रहरी तथा वार्ड प्रहरी नियुक्त किए गए हैं। ग्राम प्रहरियों तथा वार्ड प्रहरियों द्वारा गांव में नशा बेचने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है। इसके साथ ही जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनकी नशा छुड़वाने में मदद की जाती है। इसी प्रकार, नमक लोटा अभियान की सफलता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छोटी मात्रा के एनडीपीएस मामलों में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस अभियान के तहत समुदाय को जागरूक करते हुए छोटे अपराधियों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया।नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलों तथा संवादात्मक सत्रों के जरिए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया गया। इसी प्रकार, हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में नशामुक्त भारत पखवाड़ा के तहत 15 दिनों में लाखों लोगों तक नशा विरोधी संदेश पहुंचाया गया। इस पहल ने राज्य के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी और व्यापक जन जागृति का आधार तैयार किया। नशे की लत को अपराध से ज्यादा स्वास्थ्य की चुनौती मानते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा नशा छोड़ने वालों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रदेश में सर्वेक्षण करते हुए नशे की लत का शिकार हुए लोगों की पहचान की गई जिन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेजते हुए उनका इलाज करवाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ योजना बनाकर नशे का शिकार लोगों को इसकी गर्त से बाहर लाने में मदद की गई। आंकड़े सांझा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2024 में नशा तस्करी संबंधी 411 मुकदमे वाणिज्यिक मात्रा के, 1808 मध्यवर्ती तथा 832 कम मात्रा के दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हरियाणा पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के मुकदमे दर्ज करते हुए 28 किलो 148 ग्राम हीरोइन, 266 किलो 083 ग्राम चरस, 8552 किलो 088 ग्राम गांजा, 400 किलो 956 ग्राम अफीम, 382 किलो 277 ग्राम अफीम के पौधे, 15441 किलो 253 ग्राम भुक्खी, 48436 नशीली दवाइयां की बोतलें, 3,11,776 नशीले कैप्सूल, 6,91,681 नशीली गोलियां, 12778 नशीले इंजेक्शन सहित अन्य नशीले पदार्थों की रिकवरी की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नशा से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि वे अपने आसपास कहीं भी नशा बिकते हुए देखें तो तुरंत इसकी जानकारी हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टोल फ्री नंबर- 9050891508 पर देना सुनिश्चित करें।

श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के लिए 6 जनवरी,2025 तक कर सकते हैं आवेदन

चण्डीगढ़। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र कलाकार 6 जनवरी,2025 तक इस पुरस्कार के लिए ई-मेल या डाक के माध्यम से संबंधित विभाग में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले और आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चयनित कलाकार को पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र व शॉल भेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सांगियों की रचनाओं के मंच निर्देशन के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही आवेदक हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रार्थी ने सांग का निर्देशन हरियाणा की संस्कृति की मर्यादा के अनुरूप किया हो। श्रेष्ठ निर्देशक अपने सहयोगी कलात्मक निर्देशक, संगीत निर्देशक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रकाश एवं ध्वनि इत्यादि तकनीकी स्टाफ के साथ तालमेल बनाने में दक्ष होना चाहिए। प्रार्थी की आयु 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और प्रार्थी का सांग के मंच संचालन में प्रतिष्ठित होना भी जरूरी है।

उन्होंने बताया कि प्रार्थी को सांग की रचनाओं के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार करने, अभिनय की बारीकियों और संगीत की जानकारी होना जरूरी है। चयनित किए जाने वाले व्यक्ति की सामाजिक छवि अच्छी होनी चाहिए, उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए और निर्देशित किए गए सांग शिक्षाप्रद व सामाजिक सरोकार से जुड़े होने चाहिए। उन्होंने बताया कि अनिवार्य योग्यताओं के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद सांगियों को अपने पूरे दल के साथ विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर सांग महोत्सव में प्रस्तुति देनी होगी, जिसके आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा पात्र सांगी का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी और चयन कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के कार्यालय एससीओ नंबर 200-201 सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ में फोन नंबर 0172-5059116, 5059113 ईमेल आईडी डीआईपीआरफील्डएटदरेटजीमेल डाट कॉम पर संपर्क किया जा सकता है।